3-13

Basmati Rice

Amendment to SO 61(E)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 2243

Dated 15-5-2004

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004

का. आ. 1139.—केंद्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 नियम 8 के उप-नियम (ङ) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में का.आ. 68(अ), तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2004

S.O. 1139.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 8, sub-rule (e) shall be omitted.

[F. No. 6/2/2000-EI&EP]

RAJ SINGH, Director

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* S.O. 68(E) dated the 23rd January, 2003.

MGIPRRND—1525 Com/2004—300